मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा नून नदी के लॉट नं–8/3 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 06.08.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जामुनवाला, ग्राम सभा गुजराड़ा, करनपुर, विकासखण्ड सहसपुर, जनपद देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नून नदी लॉट नं–8/3 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जामुनवाला, ग्राम सभा गुजराड़ा, करनपुर, विकासखण्ड सहसपुर, जनपद देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा 11 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नून नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान व हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 02.07.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो

रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यकम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुकम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री अंकित राणा द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 10.36 है0 है। जो कि ग्राम हरनौल एवं घंघोड़ा, तहसील विकासनगर जनपद देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उददेश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री अंकित राणा द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसकी कुल राशि रू0 5.51 लाख प्रतिवर्ष होगी, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **रविन्द्र प्रसाद, निवासी जामुनवाला** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और खनन कार्य हेतु वैज्ञानिक विधि, मजदूरों की ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एवं अवैध खनन कार्य की निगरानी करने वाली संस्था के सम्बन्ध में पूछा गया एवं सुझाव दिया गया कि उक्त सभी कार्य सरकारी संस्था द्वारा किया जायेगा।

2. **हीरा सिंह चौहान, निवासी फुलसैनी** द्वारा पूछा गया कि लॉट नं–8/3 के क्षेत्र कहां से कहां तक होगा, जिस पर खनन कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

3. **संजय बंसल निवासी जामुनवाला** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि रेता, बजरी, बोल्डर आदि के लिये खनन कार्य होना चाहिए और उस पर शासन और प्रशासन का नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक है। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य खुलने से ग्राम के गरीब वर्ग को रोजगार मिले और घरों के निर्माण आदि के लिये खनन सामग्री में छूट मिले। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बरसात में जिन ग्रामवासियों की भूमि का कटाव हो रहा है एवं खनन कार्य करने वाले स्थानीय मजदूरों को खनन सामग्री में छूट प्रदान की जाय एवं खनन कार्य से लाभांश का एक अंश ग्राम सभा में वितरित होना चाहिए, जिसका उपयोग सड़कों की मरम्मत, वृक्षारोपण आदि में किया जाये। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य करने वाले मजदूरों और ड्राइवरों के लाइसेंस व आई0डी0 का सत्यापन होना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि खनन से सबसे ज्यादा नुकसान किसान को होता है इसलिये सबसे पहले मुआवजा किसान को मिले। खनन कार्य का संचालन ग्राम स्तर पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त खनन कार्य की सुरक्षा और निगरानी स्थानीय थानों से न होकर बाहरी थानों से की जाये।

4. **राजेन्द्र सिंह कुंवर, निवासी जामुनवाला** द्वारा कहा गया कि खनन कार्य शुरू होने से पहले सड़कों की मरम्मत की जाये एवं खनन से संबन्धित कार्यवाही लिखित रूप से हो तथा खनन कार्य क्षेत्र का मार्किंग सर्टिफिकेट ग्रामसभा को दिया जाये।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन कार्य से पूर्व खनन क्षेत्र में सीमांकन का कार्य किया जायेगा। सरकारी भूमि में खनन होने से अवैध खनन नहीं होगा, जिससे खनिज दर स्वतः कम हो जायेगी। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा धारक संस्था द्वारा

कारपोरेट सोशियल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत अपने लाभांश का कुछ भाग स्थानीय सामाजिक एवं विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुकम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुकम में अवगत कराया गया कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी०वी०डी० – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)	(सुभाष पंवार)	(प्रताप सिंह शाह)
अनु० सहा०	अ० अभियन्ता	अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
		देहरादून

DATE 06 08 2014

दून नदी के लाट संख्या 08/3 में चुगान खनन हेतु दिनांक 06/08/2014 (समय 11:00 बजे) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जामुन वाला, ग्राम सभा गुजराड़ा, तहसील एवं सहसपुर जनपद देहरादून, जन लोक सुनवाई में मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति का विवरण।

क्र०सं०	नाम व पद	पता	संपर्क सूत्र	हस्ताक्षर
(1)	श्री प्रतापसिंह शाह (Adm A/R)	जिला प्रशासन देहरादून	975666655	[signature]
(2)	श्री सुभाष पंवार (स० अभि०)	प्रदू० नि० बोर्ड दे०दून	9410393945	[signature]
(3)	श्री सुनिल इस्टाल (अनु० सहा०)	प्रदू० नि० बोर्ड दे०दून	9124837820	[signature]
(4)	श्री अमित राना (Ast Mng)	GRC Noida	8510910966	[signature]
(5)	विजय कुमार	GRC Noida	9528553227	[signature]
(6)	हेमन्त रतूड़ी	GRC D.Dn	9410100273	[signature]
7	सी एस नेगी	G.M.V.N Hq	9412057902	[signature]
8	किशनसिंह शर्मा	जामुनवाला		[signature]
9	A.K. Chhetri	Jamunwala		[signature]
10	Rahul chauhan	Aakowala	8954447491	[signature]
11	Rohit	Aakowala		

DATE

	नाम व पद	पता	मोबाइल नं	हस्ताक्षर
12.	Ravinder Singh Kumar	Vill Jamunwala	8449388202	[signature]
13.	Shankar	"	"	[signature]
14	लक्ष्मण सिंह	जामुनवाला	8006296235	
15	[illegible]	जामुन		
16	हरि सिंह चौहान	जामुनवाला		[signature]
17	[illegible]	फुलसनी	9837679152	[signature]
18	Sanesh Panwar	Gujrara Kanpur	9412019524	[signature]
19	Anis Ali	Aamwala	9719925151	Anis
20	[illegible]	आमवाला	9720140407	[signature]
21	Kishen Singh	Jamun wala	9012081225	[signature]
22	Bahadur Singh	Jamun wala	9761841940	[signature]
23	C B GURUNG	JAMUN WALA		[signature]
24	Hoshiar Singh	Jaman wala		[signature]
25	NAVEEN	Jamun wala	9897720383	[signature]
26.	Shashi Pandey	Fulsani	9557150134	[signature]
(27)	[illegible]	" "	97578854	[signature]
(28)	[signature]	Fulsani	नहीं है।	[signature]
(29)	Rajendra Thapa	Fulsani	—	[signature]
(30)	Praveen Singh	Fulsani	7895894119	[signature]
31	[signature]	[illegible]	9412347669	[signature]
32)	Rajendra Singh Kunwar	Jamun wala	9837242058	[signature]
		[illegible]	783000295[illegible]	[signature]

34 नाम व पद	पता	संपर्क सूत्र	हस्ताक्षर
35 Deevan Singh Rana - S/W	Vill - Aamwala.	9410555377	[signature]
36 Manoj Kr	Vill - Dhalani	7895317926	[signature]
37 दिनेश कुमार	जामुनावाला	8979756378	दिनेश कुमार
38 रघुबीर	जामुनवाला		
39 नानका			
40 राजेन्द्र प्रसाद पैनवाल	जामुनवाला	9358191657	[signature]
41 राजेश शर्मा पूर्व प्रधान	"	9411176541	[signature]
42 चरण सिंह चौहान	फुलसनी	9634533020	[signature]
43 निरंजन सिंह	फुलसनी	9837321689	[signature]
44 संजय कुमार पंवार (क्षेत्र पंचायत)	जामुनवाला	09897275401	[signature]
45 संगत सिंह सैनी (उपाध्यक्ष)	हाथीवाला गांव	9319392749	[signature]
46 सुरेश कुमार	" "	9458396419	[signature]
45 Mohan Singh Rana	Jamunwala	8449225680	[signature]
46 टीकाराम चौहान	जामुनवाला	9412019567	टीकाराम चौहान
47 विमलकिशोर नौटियाल	फुलसनी	9412529916	[signature]
48 वरिष्ठ नागरिक (सेवानिवृत) ग्रा०स०वि०अधि०		9412403291	[signature]
49 श्यामा देवी	जामुनवाला		श्यामा देवी
सरोज देवी			
रेखा देवी			
सोनी देवी			